189
28.09.15

समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, दरभंगा द्वारा दिनांक 22.09.15 को 84–हायाघाट एवं 85–बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों की बहेड़ी प्रखंड मुख्यालय में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. सी0पी0एफ0

- आगामी विधानसभा निर्वाचन का मतदान दिनांक 05.11.2015 एवं मतगणना 08.11.2015 को निर्धारित है, इसकी अभी से तैयारी करें।
- जितने भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केन्द्रों पर सी0पी0एफ0 लगाए जायेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड अन्तर्गत सी0पी0एफ0 के ठहराव स्थलों का निरीक्षण करें एवं वहाँ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा के सहयोग से सभी बुनियादी सुविधाएँ (पेयजल हेतु 4 चापाकल, 6 शौचालय, विद्युत कनेक्शन, जेनरेटर, पर्याप्त कमरा की उपलब्धता, गैस सिलिन्डर, पंखा, मॉस्कयूटो क्वाईल आदि) उपलब्ध कराये।
- ठहराव स्थल पर एक लायजनिंग पदाधिकारी की भी नियुक्ति करें एवं थाना स्तर से एक चौकीदार की भी वहाँ नियुक्ति की जाय, जो चुनाव के अंतिम दिन तक उनके साथ रहेंगे।
- किसी–किसी बड़े विद्यालय में जहाँ दो कम्पनी सी0पी0एफ0 का ठहराव हो सकता है, ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें एवं उसी के मुताबिक वहाँ बुनियादी न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।
- जिस प्रखंड में सी0पी0एफ0 आ गये है, संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी थानाध्यक्ष के सहयोग से सी0पी0एफ0 से एरिया डोमिनेशन, वाहन जॉच, फलैग मार्च आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करावें।
- सी0पी0एफ0 को मानक के अनुरूप प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय वाहन कोषांग से वाहन उपलब्ध करायें।
- मतदान के दिन सी0पी0एफ0 को एक दिन का नगद भुगतान करना है, प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी व्यवस्था करें।
- मतदान के दिन कलस्टर से सी0पी0एफ0 को मतदान केन्द्र तक भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था प्रखंड स्तर से की जायेगी।
- चतुर्थ चरण, जो 01.11.2015 को निर्धारित है। दिनांक 02.11.2015 को दोपहर बाद सी0पी0एफ0 का इस जिला में पहुँचना प्रारंभ हो जायेगा। यदि तीसरे चरण के सी0पी0एफ0 को इस जिला में आना है तो उनका आगमन पहले ही हो जायेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी सी0पी0एफ0 के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था 01.11.2015 की संध्या तक निश्चित रूप से सुनिश्चित कर लें।
- जिला स्तर से सभी प्रखण्डों को जिला का अनुमोदित दर उपलब्ध कराया गया है। कार्य अनुमोदित दर एवं अनुमोदित एजेन्सी से कराया जाय। यदि अनुमोदित एजेन्सी कार्य करने में असमर्थ हो तो स्थानीय एजेन्सी से अनुमोदित दर पर कार्य करायी जा सकती है।

2. डिस्पैच सेन्टर

- विधानसभावार डिस्पैच सेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ सारी व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी को करनी है। मतदान कर्मियों के डिस्पैच के एक दिन पूर्व रिंग बस सेवा चलेगी और उसी से सभी कर्मी अपने–अपने डिस्पैच सेन्टर पर पहुँचेंगे। एक डिस्पैच सेन्टर पर लगभग 2000 विभिन्न श्रेणी के कर्मी रहेंगे, जिनके लिए सभी आवश्यक व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी को करनी है।
- डिस्पैच सेन्टर पर अच्छी गुणवत्ता वाले पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाय।

- कर्मियों के रात्रि विश्राम की व्यवस्था करें।
- डिस्पैच सेन्टर पर कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण की उपलब्धता डिस्पैच सेन्टर पर सुनिश्चित करें।
- डिस्पैच सेन्टर पर कर्मियों के बीच यात्रा भत्ता अग्रिम वितरण की व्यवस्था करनी होगी।
- विडियोग्राफी की टीम भी डिस्पैच सेन्टर पर पहुचेगी, जिसे मतदान दल के साथ विभिन्न मतदान केन्द्रों पर भेजने की व्यवस्था करनी होगी।
- डिस्पैच सेन्टर पर भुगतान के आधार पर कर्मियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था करें।
- मोबाईल चार्जिंग के लिए एक्सटेंशन बोर्ड की व्यवस्था करें।
- दिनांक 04.11.2015 को डिस्पैच सेन्टर पर चुनाव से संबंधित सामग्रियों का वितरण किया जायेगा। सभी पीठासीन पदाधिकारी अपने दल के साथ मतदान सामग्री लेकर पुलिस पदाधिकारी के साथ अपने मतदान केन्द्र की ओर प्रस्थान करेंगे। उन्हें वाहन से भेजने की व्यवस्था करें।
- मतदान सामग्री प्रखंडों को चार–पॉच दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी।
- वाहन चालक का फोन नम्बर एवं नाम टैगिंग के साथ डिस्पैच सेन्टर पर एक सुगोचर स्थान पर लगा दिया जांय ताकि मतदान कर्मियों को पता चल सके कि उन्हें किस वाहन से अपने मतदान केन्द्र पर जाना है।
- वाहन पर भी मतदान दल संख्या आदि का स्टीकर उसके विण्ड स्क्रीन पर लगाया जाय ताकि मतदान दलों को पता चल सके कि उन्हें किस वाहन से अपने मतदान केन्द्र पर जाना है। मतदान केन्द्र पर जाने वाले पीठासीन पदाधिकारियों का वाहन चालक को भी उनके वाहन से मतदान केन्द्र पर जाने वाले पीठासीन पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर उपलब्ध करा दें ताकि वे भी उनसे सम्पर्क कर सके।
- पुलिस पदाधिकारियों को थाना स्तर से मतदान केन्द्रों पर पहुँचाया जायेगा, इसके लिए थाना प्रभारी को आवश्यक ईंधन कूपन पूर्व में ही उपलब्ध करा दें।
- सी0पी0एफ0 को भी ईंधन कूपन पूर्व में ही उपलब्ध करा दें।
- मतदान के दिन सी0पी0एफ0 को दी जाने वाली राशि उन्हें दो–तीन दिन पूर्व ही उपलब्ध करा दें।
- डिस्पैच सेन्टर से मतदान केन्द्रों का दूरी चार्ट तैयार कर रखें और उसी के आधार पर ईंधन कूपन तैयार कर वाहन कोषांग में उपलब्ध रखें एवं समय पर इसे संबंधित चालक को उपलब्ध करा दें।

3. <u>मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली व्यवस्था</u>

- मतदान केन्द्रों पर बुनियादी न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करावें, जहाँ–जहाँ शौचालय/चापाकल नहीं है, वहाँ 14वें वित्त आयोग की राशि से इसका निर्माण सुनिश्चित करें। कोई भी मतदान केन्द्र बिना शौचालय एवं चापाकल के नहीं रहेगा।
- विद्युत कनीय अभियंता के सहयोग से सभी मतदान केन्द्रों पर बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करावें एवं मतदान केन्द्रों पर रौशनी की वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।
- मतदान केन्द्रों की रंगाई–पोताई कर उस पर मतदान केन्द्र का नाम सहित अन्य विवरणी लिखा जाना सुनिश्चित करें।
- मतदान दल दिनांक 04.11.2015 की संध्या तक अपने–अपने मतदान केन्द्र पर पहुँच जायेंगे, इसका सत्यापन कर जिला को स्थिति से अवगत करायें।

- मतदान केन्द्र पर मतदान दलों के लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जहॉ रात्रि विश्राम के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, वहॉ रात्रि विश्राम के लिए कलस्टर निर्माण सुनिश्चित करें।
- मतदान कर्मियों के लिए भुगतान के आधार पर भोजन की व्यवस्था वहॉ के ऑगनबाड़ी रसोईया की मदद से सुनिश्चित करावें।
- पर्दानशी की पहचान के लिए कार्मिकों की सूची तैयार करें।
- अतिरिक्त बी0एल0ओ0 की सूची तैयार करें।
- नामांकण की तिथि से हीं प्रखण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष का संचालन सुनिश्चित करें।
- निर्वाची पदाधिकारी प्रखण्ड स्तरीय़ नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या जिला स्तरीय सभी कोषांगों को उपलब्ध करावें तथा इसे जिला वेवसाईट पर भी डाल दें।

4. वाहन व्यवस्था

- सभी अंचल अधिकारी, जो प्रखण्ड स्तर पर वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी हैं, वाहन की आवश्यकता का आकलन कल तक प्रतिवेदन समर्पित करें।
- नोडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय वाहन कोषांग सभी नोडल पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय वाहन कोषांग को वाहनों का रिक्वीजीशन स्लिप, लॉग बुक, कूपन आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5. आर्दश आचार संहिता

- सभी सेक्टर पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष दो दिनों के अन्दर यह प्रमाण पत्र समर्पित करें कि उनके क्षेत्र में सम्पत्ति विरुपण का कोई मामला नहीं है।
- अवैध बत्ती/स्टीकर वाले वाहनों की जॉच कर कार्रवाई करें।

6. स्वीप गतिविधि

- विद्यालयों/आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वीप गतिविधि चलायें।
- जिला स्तर पर तीन तिथियां निर्धारित की गई है। इन तिथियों को अपने कर्मियों को स्वीप से संबंधित शपथ दिलवाना सुनिश्चित करें।
- स्वीप गतिविधियों का फोटोग्राफ पर WhatsApp पर भेजें।
- आदर्श मतदान केन्द्र का चयन कर उसकी सूची अविलम्ब भेजें।
- मतदान से 15 दिन पूर्व फोटोयुक्त वोटर पर्ची का वितरण बी0एल0ओ0 के माध्यम से घर–घर वितरण करवाया जायगा। सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि बी0एल0ओ0 घर–घर जा कर मतदाता पर्ची का वितरण करें एवं स्थान पर बैठ कर नहीं। यदि बी0एल0ओ0 द्वारा एक हीं जगह से पर्ची का वितरण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में बी0एल0ओ0 तथा सेक्टर पदाधिकारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

7. विधि व्यवस्था

- भेद्य टोलों, भेद्य मतदाताओं एवं भेद्यता के कारकों की पहचान करें एवं भेद्यता के कारकों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष अपने संयुक्त हस्ताक्षर से निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 29.09.2015 तक उपलब्ध करावें।

- एफ0एस0टी0 / एस0एस0टी द्वारा प्रभावी छापामारी / चेकिंग सुनिश्चित करावें।
- थाना स्तर पर भी छापामारी आदि में अवैध नगद / शराब की बरामदगी होती है तो एफ0एस0टी0 / एस0एस0टी0 से प्राथमिकी दर्ज करावें।
- एफ0एस0टी0 / एस0एस0टी0 के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण कर दें एवं उनके कार्यों पर नजर रखें।
- चेकपोस्टों पर बैरियर के आगे ड्रम लगवाना सुनिश्चित करें।
- धारा 107 एवं 116 द0प्र0सं0 के तहत अभी तक पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के शरारती तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं कम से कम 75 प्रतिशत को बाउन्ड डाउन करवाना सुनिश्चित करें।
- बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत क्षेत्र के दबंग एवं गुण्डा तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें एवं ऐसे मामलों में अभी तक जो आदेश पारित किया जा चुका है उसका अनुपालन सुनिश्चित करावें।
- गैर जमानती वारंटों का शत्‌प्रतिशत्‌ निष्पादन सुनिश्चित करें।
- चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करवाने का प्रस्ताव वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
- यदि एक व्यक्ति को कई प्रकार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति दी गई है और नहीं सुरक्षा आवश्यक है तो एक शस्त्र को छोड़ कर शेष के जमा करवाने का प्रस्ताव दें।
- वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित पता पर नहीं रह रहे हैं / जिनकी मृत्यु हो गयी है / जो लम्बी अवधि से शस्त्र का कय नहीं कर रहे हैं, ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने का प्रस्ताव दें।

8. **एकल खिड़की व्यवस्था**

- चतुर्थ चरण के चुनाव के 48 घंटे पहले वहां प्रचार बन्द हो जायगा एवं 31.10.2015 से 3.11.2015 की संध्या 5.00 बजे तक दरभंगा जिला के विधानसभा क्षेत्रों में तेजी से प्रचार अभियान चलेगा। इन प्रचारों के लिए कई प्रकार की अनुमति (यथा–सभा स्थल, मंच, हेलीपैड, ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन इत्यादि) एकल खिड़की व्यवस्था के तहत देनी होगी। अनुमति देने से पूर्व इसका स्थानीय स्तर पर जॉच करवाना होगा, जिसकी तैयारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी करें।
- थानाध्यक्षो को प्रचार अभियान के लिए विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करना है।
- विद्युत विभाग को सभा स्थल / हेलीपैड के निकट विद्युत तारों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करना है।

ह0/-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिलाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक 1944 / निर्वाचन, लहेरियासराय दिनांक 26 सितम्बर, 2015.

प्रतिलिपि निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी / थानाध्यक्ष 84–हायाघाट एवं 85–बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को सूचनार्थ एवं उपरोक्त निदेशों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विद्युत प्रमण्डल, दरभंगा / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला स्तरीय विभिन्न कोषांगों के वरीय / नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिलाधिकारी, दरभंगा।